

will see to it that it is halted immediately. And the person who has started it, the member who is responsible, the Dean, the Vice-Chancellor who has started it, will be asked as to why this process has been started. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned. The rest of the Special Mentions and other things will be taken up after lunch. The House is adjourned for lunch for one hour.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at four minutes past two of the clock, The Vice Chairman (Shri Md. Salim) in the chair

RE: RAMESH CHANDRA
COMMITTEE REPORT ON INCIDENT
AT UP GUEST HOUSE ON 2ND JUNE,
1995.

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): श्रीमान, यह रज्यसभा इस देश की विधायिका का सर्वोच्च सदन है और आज इस सदन में लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक परियाद लेकर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, यह पूरा सदन भी मेरी बात से सहमत होगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों न हो लेकिन उसका एक मर्यादित आचरण होना चाहिए। उसका पोलिटिकल कंडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को पुष्ट करने वाला हो। किसी का भी हो। पोलिटिकल कंडक्ट इज नोट ए मेटर आफ कन्वीनिएंस। राजनीतिक क्षेत्र में किसी को भी मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज की सरकार में जो रक्षा मंत्री के पद पर श्री मुलायम सिंह यादव जी बैठे हुए हैं वह सचमुच जैसे लगता है कि अपनी सारी मर्यादाओं को भूल गए हों शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार में रहने वाला कोई भी मंत्री जहाँ पर वह सरकार के प्रति जवाबदेह होता है वहीं पर वह इस संसद के प्रति भी जवाबदेह होता है। लेकिन अपनी जवाबदेही को वह भूल चुके हैं। लखनऊ में अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी का एक नेशनल कन्वेंशन हुआ था, राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था और मान्यवर, इस समय हमारे रक्षा मंत्री जी कुछ इस प्रकार से बोखलाए हुए हैं रमेश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट आने के कारण जो लखनऊ में 2 जून, 1995 को स्टेट गेस्ट हाउस का कांड हुआ था, सुश्री मायावती के ऊपर मर्डरस अटैक हुआ था, कातिलाना हमला हुआ था और उस संबंध में रमेश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट आने पर

जैसे लगता है कि वह अपना सन्तुलन खो बैठे हैं।....(व्यवधान)

श्री रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): इस मर्डरस अटैक का जिक्र उस रिपोर्ट में नहीं है। यह सदन को बार-बार, एक बार यह पहले गुमराह कर चुके हैं....(व्यवधान) मैं सदन को गुमराह करने का नोटिस....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): बोलने दीजिए, प्लीज़।....(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: मुझे अपनी बात कहने दीजिए उसके बाद आप बोलिए।....(व्यवधान)

श्री रामगोपाल यादव: इनको मुलायम सिंह यादव के नाम से ही इतना डर हो गया है कि इनको सपने में भी मुलायम सिंह यादव नज़र आते हैं।....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): ईश दत्त यादव जी का नाम है....(व्यवधान) आप इस पर बोलेंगे....(व्यवधान)

श्री रामगोपाल यादव: यह लगातार असत्य पाषण करेंगे तो मुझे भी बोलने की इजाजत दी जाए।....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप अगर चाहें तो आपको भी बोलने का अधिकार दिया जाएगा।

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, मैं रामगोपाल जी की बात से सहमत हूँ कि "मर्डरस अटैक" इन शब्दों का उल्लेख भले ही रमेश चन्द्र कमेटी की रिपोर्ट में न हो लेकिन यू०पी० सी०आई०डी० ने जो चार्जशीट डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में लखनऊ में सबमिट की है उसमें इन शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। मान्यवर, इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद लगता है कि हमारे रक्षा मंत्री जी अपना कुछ संतुलन खो बैठे हैं। इसीलिए उन्होंने उस राष्ट्रीय सम्मेलन में जो कि लखनऊ में सम्पन्न हुआ था, केवल जुडीशियरी के ऊपर नहीं, बल्कि प्रेस और ज्यूरेक्सी के ऊपर भी उन्होंने हमला किया है और ज्यूडिशियरी पर उनको आपत्ति है। उसकी आलोचना से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिन्दुत्व की व्याख्या की है उस पर उनको आपत्ति है। आपत्ति किसी को भी हो सकती है। साथ ही धारा 44 के अंतर्गत जो संविधान की धारा 44 है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान है उसको लागू करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो उस पर भी उनको आपत्ति है। उस सम्मेलन में जुडीशियरी की खुल कर आलोचना की गई है। ऐसा नहीं है कि उनके द्वारा अथवा उनके दल के द्वारा पहली बार जुडीशियरी के ऊपर अटैक किया गया हो, बल्कि एक बार जब उन्होंने

उत्तर प्रदेश बंद का आह्वान किया था तब वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट पर जिस प्रकार से हमला बोला गया था जिस प्रकार का आतंक इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में घुसकर पैदा किया गया था। मान्यवर, उसको कभी भी केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सारा देश कभी भूल नहीं सकता है। साथ ही ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी अटक किया है। जिस रमेश चन्द्र ने रिपोर्ट दी है और वही रमेश चन्द्र जब वहां उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने ए०सी०पी० जैसे प्रमुख पद पर बैठने का काम किया था। उत्तर प्रदेश तो क्या सारा देश इस बात को कभी नहीं भूल सकता है कि उत्तरखंड वासियों पर जिस प्रकार का जुल्म ढाया गया था मुज़फ्फरनगर कांड यह देश कभी नहीं भूल सकता है और नौकरशाही का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है उस समय नौकरशाही अच्छी थी और रमेश चन्द्र जैसे अधिकारी....(व्यवधान) और यदि रमेश चन्द्र जैसे अधिकारी ने निष्पक्ष इन्क्वायरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो आज ब्यूरोक्रेसी पर उनके द्वारा हमला बोला जा रहा है।....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): राजनाथ सिंह जी, आपको जिस विषय पर परमिशन मिली है....(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा।....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): प्लीज, बैठ जाइये।....(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह: श्रीमन, केवल जुडिशियरी और ब्यूरोक्रेसी पर ही नहीं, बल्कि प्रेस के ऊपर भी हमला बोला गया है। मान्यवर, मैं उस भाषण का यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि जिसमें कि हमारे रक्षा मंत्री जी ने श्री बेनी प्रसन्न वर्मा आज लोगों ने कहा है कि,

Journalists are cowards.

यानी पत्रकार कायर हैं।

Once you stand against them, they just flee.

यदि तुम उनके खिलाफ में खड़े हो जाओगे तो वे भाग जायेंगे।....(व्यवधान)

श्री रामगोपाल यादव: एक मिनट, यह जो अखबार में छपा है यह संबंधित अखबार और पत्रकारों को प्रेस काउंसिल में भी ले जा रहा हूं। मुलायम सिंह जी ने यह कभी नहीं कहा है। नंबर एक बात, जो जुडिशियरी की बात कह रहे हैं।

हमारे नेताओं ने जुडिशियरी के खिलाफ कभी नहीं कहा। इन के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजने का एक दिन का काम ठहराया था। यह सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं।....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप बैठ जाइए, राजनाथ सिंह जी बोल देंगे।

श्री राजनाथ सिंह: और मान्यवर उन्होंने प्रेस को सबक सिखाने का भी आह्वान किया है कि प्रेस के लोगों को सबक सिखा दिया जाए। मान्यवर, हमारी भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि हिंदुस्तान की प्रेस ने डेकोरम और डिग्रि की पब्लिक इंटेरेस्ट को फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से फालन किया है। यह हमारी निश्चित धारणा है। इतना ही नहीं, यदि हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोक सभा में स्पन्दन के फटल पर रमेश चन्द्र इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो इस से अब व्यक्तिगत नाराजगी हो गयी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी धमकी दी जा रही है कि उन को सबक सिखा दिया जाएगा।....(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Mohd. Salim): you have to conclude now.

श्री राजनाथ सिंह: इस प्रकार के राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप भी राजनीतिक आरोप नहीं लगाइए।

श्री राजनाथ सिंह: यह इस से जुड़ा हुआ है।

THE VICE-CHAIRMAN (Shri Mohd. Salim): This is a Zero Hour submission, Mr. Shastri. He has got permission only for making a Zero Hour submission. He cannot go into everything.

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, मैं समझता हूं कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी संसदीय दायित्वों का निर्वाह किया है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। इस पर यदि किसी को आपत्ति है तो संसद में आकर अपनी बात रख सकते हैं, उस का जवाब दे सकते हैं, लेकिन यदि इस तरह से किसी को धमकी दी जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है?

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सी०आई०डी० जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, उस ने 8 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में लखनऊ में एक चार्जशीट सबमिट की है और उस में ऐसी लगभग 15-16 घराएं जोकि अपहरण की हैं, हत्या

के प्रयास की हैं, मारपीट की हैं, दंगे की हैं, आतंकी दस्तावेज प्रस्तुत करने की हैं; रिश्त देने की आपराधिक सज्जिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह चार्जशीट सबमिट हो चुकी है, मान्यवर, यह बात समझ में नहीं आती कि यह चार्जशीट जोकि 8 अगस्त, 1995 को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में सबमिट हुई है, उस के बाद....(व्यवधान)....इस सरकार में भी बने हुए हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Sir, the Zero Hour submission has become a long discussion. How can it be?

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, केवल एक मिनट में कनक्वूड करना। और केवल मुलायम सिंह यादव ही नहीं बल्कि श्री बेनी प्रसाद वर्मा जो कि भारत सरकार के संचार मंत्री हैं, उन के विरुद्ध भी चार्जशीट सबमिट है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि श्री शरद यादव जी जोकि जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन को मंत्रिपरिषद् में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि हवाला के मामले में उन के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट जमा है, यदि श्री सिंधिया जी मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देते हैं और उन को टिकिट नहीं दिया जाता है, श्री कमल नथ को टिकिट नहीं दिया जाता है....(व्यवधान)....

श्री रामगोपाल बादव: आडवाणी जी भी चुनाव नहीं लड़े।

श्री राजनाथ सिंह: श्री तस्लीमुद्दीन से त्यागपत्र इसलिए ले लिया जाता है कि उन के विरुद्ध आपराधिक मामले थे। उन के विरुद्ध चार्जशीट अदालत में सबमिट हुई थी। तो यह बात हमारी समझ में नहीं आती है कि जिस भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव और श्री बेनी प्रसाद वर्मा के विरुद्ध आपराधिक षडयंत्र की चार्जशीट अदालत में सबमिट हुई है, आज वह अपने पद पर कैसे बने हुए हैं?

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, we have some innocent submissions. Please call us.

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, मैं मांग करना चाहता हूँ कि श्री मुलायम सिंह जी यादव और श्री बेनी प्रसाद वर्मा को भारत सरकार की मंत्रिपरिषद् से तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं रह गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपासभाध्यक्ष जी, सदन इस देश का उच्च सदन है। इस की एक गरिमा और मर्यादा है और इस गरिमा और मर्यादा को कायम रखने का दायित्व हम सब लोगों का है। मान्यवर, यह सदन देश की एकता, देश की अखंडता और देश की समस्याओं के निराकरण के लिए है किसी राजनीतिक लाभ के लिए वह सदन नहीं है।

मान्यवर, हमारे मित्र श्री राजनाथ सिंह जी ने राजनीतिक लाभ के लिए इन सब तथ्यों को सदन में कहा है जोकि तथ्य सही नहीं हैं। मान्यवर, हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी और हम सब लोग अदालत की गरिमा, अदालत की मर्यादा को कायम रखने में विश्वास रखते हैं और जनता में प्रेस को एक सजग प्रहरी के रूप में मानते हैं और प्रेस व अखबार का भी सम्मान करते हैं। मुलायम सिंह जी ने....(व्यवधान)

श्रीमती भारती झा (उत्तर प्रदेश): महिला की मर्यादा की रक्षा करते हैं?

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, जिस भाषण का उल्लेख किया गया है, उस सम्मेलन में मैं उपस्थित था।

जिस सम्मेलन का उन्होंने उल्लेख किया है, उस सम्मेलन में मुलायम सिंह जी ने इस तरह की कोई बात नहीं कही। न उन्होंने प्रेस के खिलाफ कहा और न ही जुड़ीशिपरी के खिलाफ कुछ कहा।

मान्यवर, इन लोगों को तो बोलना नहीं चाहिए, जिनके नेता, आज मैं अखबार पढ़ रहा था कि वह नेता बी०जे०पी० का अगला अध्यक्ष बनेगा देश का, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन की सजा दी थी। इनको तो बोलने का कोई हक नहीं होता है, जो इनके ऐसे नेता प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में।

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ, सिर्फ दो-तीन मिनट चाहिए। जिस घटना का उल्लेख किया गया है और जिस रमेश चन्द्र की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है, यह रमेश चन्द्र की रिपोर्ट जो है, पूर्णतया पक्षपातपूर्ण और असत्य है।....(व्यवधान)...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपासभाध्यक्ष जी, आप प्रोटेक्शन दीजिए। एक सरकारी रिपोर्ट है और उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है।....(व्यवधान)...

श्री ईश दत्त यादव: सुनिए, सुनिए। आप लोग सुनने की आदत डालिए।....(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): यादव जी, आप खत्म कीजिए।....(व्यवधान)...

श्री ईश दत्त यादव: मैं आपको बता रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): नहीं, नहीं, आपको आप मत कहिए। हमें कहिए, जो कुछ आपको कहना है।

श्री ईश दत्त यादव: श्रीमन् रमेश चन्द्र जी ने जो रिपोर्ट दी है, मैं उन तथ्यों को बतला देना चाहता हूँ। वह श्री मुलायम सिंह जी के गांव के पास के रहने वाले हैं। आई० ए० एस० अफसर रहे हैं। मुलायम सिंह जी की पार्टी के, जो हमारी पार्टी है, हमारे 70 लोगों और एक विधायक थे नत्थू सिंह जी, इनके ऊपर उन्होंने गांव की रजिश के कारण सन् 1970 में एक झूठा मुकदमा कायम करवा था, जिसके बारे में हमारी पार्टी ने मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में धरना दिया था, आंदोलन किया था क्योंकि उसमें उनके झूठा फंसेया हुआ था।....(व्यवधान)...

श्री राजनाथ सिंह: अपने कार्यकाल में तो आप देख लीजिए।....(व्यवधान)...

श्री ईश दत्त यादव: अरे, सुनिए आप। मान्यवर, अब यह रमेश चन्द्र जी, जो आई० ए० एस० आफिसर थे, जब मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर हो गए तो मयावती जी और उनकी पार्टी के लोग, जो उस समय हमारे सहयोगी दल थे, मुलायम सिंह जी पर प्रेसर डालते थे कि इनको उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए। मुलायम सिंह जी ने इनको चीफ सेक्रेटरी बनाने से इंकार कर दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप अपनी बात संक्षेप में रखिए।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूँ।....(व्यवधान).... आप सुन लीजिए। मान्यवर, ये लोग अगर डिस्टर्ब न करें तो तीन मिनट में खत्म कर दूंगा।

फिर, मान्यवर, मयावती की सरकार दुर्भाग्य से प्रदेश में आ गई, इन लोगों की साजिश की कजह से। यह रमेश चन्द्र जी रिटायर के वक्त पर थे। मयावती जी ने उनसे कहा कि इस घटना में, जो यह तथ्यावधि घटना है, इसमें एक रिपोर्ट तैयार करो। 4 जुलाई, 1995 को यह रिपोर्ट देते हैं रमेश चन्द्र जी और 5 जुलाई, 1995 को इनको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया और दूसरा इनाम इनको दिया गया, मान्यवर, कि इनके बेटे को यूपीका, जो बहुत बड़ी

संस्था है यूपीका, इसमें इनके बेटे अमिताभ को 21 अगस्त, 1995 को डायरेक्ट मैनेजर बना दिया गया। दो इनाम दिया गया और इस तरह से यह रिपोर्ट आई और मुख्य सचिव के पास यह रिपोर्ट पहुंची रमेश चन्द्र की। मयावती चीफ मिनिस्टर थीं, यह इनकी सरकार थी, इनकी मिलीजुली सरकार थी, यह सपोर्ट कर रहे थे। मुख्य सचिव ने चीफ मिनिस्टर के सामने रिपोर्ट को रखा। चीफ मिनिस्टर मयावती जी ने कहा कि जो एक्शन इज रिक्वायर्ड। कोई एक्शन नहीं लिया।

मान्यवर, सी०आई०डी० की रिपोर्ट का इन्होंने उल्लेख किया। सी०आई०डी० के जो अधिकारी जांच कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम गलत रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं हैं, गेस्ट हाऊस की 2 जून की जो घटना है वह बिल्कुल गलत है। जब यह इस नतीजे पर पहुंचे तो सी०आई०डी० के उन अधिकारियों को बदल दिया गया और फिर तीन नए अधिकारी डेप्यूट किए गए। यह इस अंडरस्टैंडिंग पर डेप्यूट किए गए कि तुम लोग रिपोर्ट दे दो, तुमको अच्छी जगह दी जाएगी। मैं तीनों के नाम उल्लेख करके अपनी बात समाप्त कर देना चाहता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): बहुत बहुत शुक्रिया। नाम न बोले, तो चलेगा क्योंकि नाम नहीं बोले जाते।

श्री राजनाथ सिंह: मान्यवर, जैसा यादव जी बोल रहे हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है।....(व्यवधान)...

श्री रामगोपाल यादव: असत्य और पक्षपात का सुन लीजिए।....(व्यवधान)...

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, इसमें एक डीवाई० एस०पी० जो सी०आई०डी० में थे, चूंकि सी०आई०डी० को सजा की जगह माना जाता है, तो वह डी०वाइ०एस०पी० मिस्टर ए०पी०तिवारी, जो रिपोर्ट देने में शामिल थे, इनको गोण्डा का डी०वाइ०एस०पी० बना दिया गया। दो एस०पी० और थे, श्री राधेश्याम त्रिपाठी और श्री दयानिधि मिश्रा, इन्होंने जब रिपोर्ट दे दी तो एक को एस०एस०पी० एटा बना दिया गया और दूसरे को मुलायम सिंह जी के जिले में एस०एस०पी० बना दिया गया। यानि इन तीनों को इनाम दिया गया। इन परिस्थितियों में सी०आई०डी० की रिपोर्ट दी गई। तो मैं वह निवेदन कर रहा था.....तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि "गेस्ट हाऊस" की जो घटना है, वह बढ़ा-चढ़ाकर रिपोर्ट में दी गई है, दबाव में दी गई है, लालच में दी गई है और मैं कहना चाहता हूँ कि इनके चाहे जो अरमान हों राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, उत्तर प्रदेश की समझदार जनता ने फैसला कर लिया है, चाहे आप

पायावती से समझीत करके सरकार चलाने या चाहे जिस स्थिति में रहे, उत्तर प्रदेश की महान और समझदार जनता ने फैसला कर लिया है कि वह भाजपा के लोगों को भूल चटा देगी, आने वाले चुनावों में आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप केवल राजनीतिक लाभ के इस चोंच को उठा रहे हैं।....(व्यवधान).... मान्यवर, मैं खत्म कर रहा हूँ।....(व्यवधान).... मान्यवर, अटल बिहारी जी....(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): अभी बहुत लम्बी लिस्ट है और बहुत इंपोर्टेंट मामले हैं, कृपया इस सदन को उत्तर प्रदेश के चुनाव-प्रचार का मंच मत बनाइए।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका केवल एक मिनट चाहता हूँ।....(व्यवधान)....

श्रीमती मालती शर्मा: मान्यवर, कृपया मुझे दो मिनट दीजिए।....(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): ईश दत्त यादव जी, कन्कलुड कीजिए आप।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, इनका "राम मंदिर" खत्म हो गया, अब भुलायम सिंह के खिलाफ ये यह रिपोर्ट लेकर चल रहे हैं, इस रिपोर्ट में कोई दम नहीं है और मैं आपके माध्यम से इन तीन लोगों से कहूंगा कि आपके अरमान अब पूरे होने वाले नहीं हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने अब फैसला कर लिया है।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कहना चाहता, केवल दो चीजें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि प्रेस काउंसिल में, जिस अखबार में छापा, उसको वे ले जा रहे हैं। मैं चूंकि उस समय दो-तीन राज उत्तर प्रदेश में ही था, कौन सा अखबार है जिसमें यह सब नहीं निकला है। चूंकि मैं भी चाहता हूँ कि सदन की गरिमा रहे, एग्जीक्यूटिव की गरिमा रहे, प्रेस की गरिमा रहे, ज्यूडिसियरी की गरिमा रहे, जिसकी कि दुहाई दी जा रही है और मैं नाम लेकर यह बताना चाहूंगा कि हमारे प्रेस के खरिद सदस्य ने, जिनकी कि मैं हमेशा से ही इज्जत करता हूँ, निखिल चक्रवर्ती उनका एक सेंटेंस पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि या तो उनके खिलाफ, अगर सदन की गरिमा का प्रश्न है, प्रेस की गरिमा का प्रश्न है, तो मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ एक प्रिविलेज का मोशन लाया जाए या प्रेस काउंसिल में उनके इस मामले को ले जाया जाए या कोर्ट

के डेफरमेंशन में लाया जाए। मैं सिर्फ एक बात पढ़ना चाहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता:-

"Mr. Mulayam Singh Yadav's recent outburst against the media was made ominously in Lucknow. He was angry because of the report by a journalist exposing the presence of well-known criminals right on the platform of his party."

बहुत कुछ लेख में है, सब लिखा हुआ है और पूरे देश में कितने ही अखबार में यह छपता है, यह हम आप जानते हैं।

दूसरे मैं कहना चाहता हूँ "ट्रिब्यून", "जयसिंह जी" के सम्पादकीय के बारे में। वह भी मैं केवल इसलिए कहता हूँ कि मेरे मित्र इरिगेशन मिनिस्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वही उनका भी नाम लिया गया है, इसलिए वे भी सुन लें। उन्में है:-

"The State of perversity has no caste or class. It could only upset the system and prove to be self-destructive in the long run. And when it comes to wayward politics, some of the Samajwadi Party leaders can easily claim the gold medal. Mr. Mulayam Singh Yadav, Mr. Beni Prasad Verma and Mr. Janeswar Mishra..."

This is an interpellation.

"...three Cabinet Ministers in the Deve Gowda Government virtually gave a live show of their political sickness when they selectively attacked the judiciary and the press..."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Please conclude. There is a logn list pending here.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूँ। इसी तरह से "मिस्टर इरानी" का है। मैं आज ही यहाँ पर आया हूँ, मेरे घर में जो अखबार आते हैं, उसमें सबके नाम....(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): सरा-सरा दिन थोड़ा चलाएंगे ज़ीरो ऑवर, समाप्त कीजिए।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मेरा कहना यह है कि सब कि गरिमा के लिए यह आवश्यक है कि इन

सबके खिलाफ ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मैं समाप्त कर रहा हूँ, एक सैकिड और दे दें, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, मैं केवल एक सैकिड और निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सीआईडी ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है और जिसमें तीन कैटेगरी जिन दोषी लोगों की बनाई हुई है, उनके भी नाम हैं। मैं बेहतर समझूँगा कि उस "इंडियन एक्सप्रेस" अखबार में, जिसमें कि उसके सब डिटेल्स तफ़्सील में दिए हुए हैं, वहाँ के एक भूतपूर्व स्पीकर का भी नाम है और जो हमारे आजकल के यहाँ दो मंत्रीपद पर हैं, वह भी है, मैं चाहता हूँ कि उसके अनुसार भी करवाई हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, चूँकि माननीय सदस्य ने इशारे से हमारा नाम लिया है, वैसे तो इस तरह के विवाद में मंत्री को नहीं पड़ना चाहिए, मैं जानता हूँ लेकिन चूँकि उन्होंने मेरा नाम लिया है ... (व्यवधान)...

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: मजबूरी थी मेरी।

श्री जनेश्वर मिश्र: आपकी मजबूरी थी और मेरी भी मजबूरी है। उत्तर प्रदेश के कुछ अखबार के लोगों ने हमारा नाम लेकर के भाषण के नाम पर कुछ ऐसे शब्द छपे हैं, जो अपनी जिंदगी में भाजपा के मित्रों के लिए तो क्या, इन लोगों की तो मैं इज्जत करता हूँ मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वे शायद असंसदीय होंगे। जिन लोगों को उस नाम से पुकारा जाता है, उन लोगों के लिए भी उन शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करता। मेरे मुँह से उस तरह के शब्द निकले, उससे मैं बेहतर समझता हूँ कि राजनीति छोड़ दूँ। लेकिन उस तरह की बात छप गई और मैं दुःखी हुआ। ये विशेषण के नाम हैं, आदमी के गुणों के नाम हैं लेकिन गंदे नाम हैं। ऐसा जब छप जाता है तो दुःखी होना स्वाभाविक होता है। आप लोगों ने अपने ऊपर लिया होगा, राम-भक्तों ने अपने ऊपर लिया होगा। अखबार में छपा दिया हमारे मुँह से निकलकर, बिना निकले हुए भी। मैं उन शब्दों को कभी बोलता ही नहीं जिंदगी में। ये मेरी राजनीतिक संस्कृति ही नहीं है।

मुलायम सिंह का भाषण मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। एक बार भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो लघु हो। मुँह से बातें निकलती हैं तो हमारे जैसा आदमी सुनता रहता है। हम बहुत संतुलित रहते हैं। कभी-कभी

संतुलन खोना भी चाहते हैं सदन में तो उन्हें बताने के लिए कि तुमको ठीक करेंगे अपनी बातचीत से लेकिन उसमें कभी मंशा नहीं रहती ठीक करने की। आप हमारे विरोधी हैं, हम आपके विरोधी हैं। अगर हम चुनाव में या मैदान में या सम्मेलन में आपके खिलाफ बोलते हैं तो यह राजनीति का चरित्र है और यह चरित्र चलता रहेगा। इस पर बार-बार सरकार के किसी मंत्री को घसीटना या अखबार में किसी कटिंग में उसके नाम से क्या छप गया, उसको विवाद का मुद्दा बनाना ठीक नहीं है और जैसा ईश दत्त यादव जी ने बताया सीआईडी और रमेश चन्द जी के बारे में, इन तथ्यों को अगर आप नहीं जानेंगे ... (व्यवधान)...

निखिल चक्रवर्ती का सम्मान मैं भी उतना ही करता हूँ जितना आप करते होंगे। निखिल चक्रवर्ती ने जो लिखा है वह तो कोई रिपोर्टिंग हुई होगी तभी लिखा होगा। क्या यह सच नहीं है कि जिन दिनों आडवाणी जी सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तब से आर०एस०एस० के कुहूत से लोग इसमें भर्ती किए जाने लगे ... (व्यवधान).... क्या यह सच नहीं है ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): हम दूसरा विषय ले रहे हैं, यह विषय खत्म हो गया। रामदेव भंडारी जी, आप बोलिए।

श्री ईश दत्त यादव: आप क्यों चिंतित हैं? जब कल्याण सिंह को सजा हुई तो आप चिंतित नहीं हुए ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): ईश दत्त जी, बैठ जाइए। रामदेव जी, आप बोलिए।

RE. DEATHS DUE TO COLLAPSE OF A BUILDING UNDER CONSTRUCTION AT KOTLA MUBARAKPUR, DELHI

श्री रामदेव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान 26 जुलाई को दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे मकान के गिर जाने की दर्दनाक घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार इस घटना में 14 निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई और दर्जनों लोग घायल हो गए। महोदय, मृतकों में बच्चे तथा महिलाएँ भी हैं। दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिवार को 20-20 हजार रुपए तथा घायलों को 3-3 हजार रुपए की राहत देने की घोषणा की है। महोदय, थोड़े-थोड़े अंतराल पर दिल्ली में